रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 379] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 1987/श्रावण 2, 1909
No. 379] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 1987/SRAVANA 2, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1987

अधिसूचना

का. आ. 738 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का 12) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 24 जुलाई, 1987 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबन्ध, धारा 11 से धारा 13 (जिसमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) को छोड़कर, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 3(1)/83-खा.ग्रा. (I)/जिल्द-III]
जी. वेंकटरामनन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 24th July, 1987

NOTIFICATION

S.O. 738(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Khadi and Village Industries Commission (Amendment) Act, 1987 (12 of 1987), the Central Government hereby appoints the twenty fourth day of July, 1987, as the date on which the provisions of the said Act, except sections 11 to 13 (both inclusive), shall come into force.

[F. No. 3(1)|83-KVI(I)|Vol. III]
G. VENKATARAMANAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987